

25.9.19 पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित । मूल निगरानी प्रकरण में आज निर्णय पारित हो चुका है, लिहाजा यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो ।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)